तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2880/2003/सवाईमाधोपुर जगदीश बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री अयूब खान, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्रीमती ज्योति पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार, बामनवास के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा न. 773 व 772 के मध्य रास्ते को डोल लगाकर रोक दिया है जबकि उक्त रास्ता कदीमी है जिसे खुलवाया जावे। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 02–1–2003 से अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीाकार करते हुये उक्त खसरा नंबरान की मेड से रास्ता होने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपील अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अपने निर्णय दिनांक 30.4. 2003 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा अदावतीवश एवं कलुशित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जानबूझकर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खसरा नंबरान के बीच में होकर रास्ता मांगा है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2880/2003/सवाईमाधोपुर जगदीश बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने बहस में बताया कि राजस्व अभिलेख में खसरा नं0 772, 773 व 775 के उत्तरी दिशा में मेड में होकर कोई रास्ता नहीं बतलाया गया है। ट्रेस में भी कोई रास्ता नहीं बताया गया है परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र अपने कयासों के आधार पर कि राजस्व रिकार्ड में उन्हीं रास्तों अंकन होता है जो बहुत पूर्व से तथा बडे रास्ते निर्धारित करते है । इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खसरा नंबर में नया रास्ता देना धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम गलत तरीके से स्वीकार किया था जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश व निर्णय निरस्त किये जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि प्रकरण में पूर्ण जांच कर तहसील से रिपोर्ट मंगवाई जाकर आदेश पारित किया गया है एवं मौके पर किमतन रास्ता खुलवाया है। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2880/2003/सवाईमाधोपरु जगदीश बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 24.08.99 की मौका फर्द रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसके द्वितीय पैरा में यह तथ्य अंकित है कि– ''मौके पर ख0न0 775 में बंशी पुत्र राधाकिशन की आबादी बनी हुई है एवं ख0न0775 में ही बंशी पुत्र राधाकिशन बैश्रवा द्वारा नवीन चाह का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी बंशी पुत्र राधाकिशन अपनी आबादी से पूर्व से ही आम सडक दौसा से गंगापुर पर आने जाने के लिए खसरा नं0 773, 772 के उत्तर की मेड पर एवं 784 की मेड पर आता जाता रहा है एवं अपने मवेशी व खेती का सामान तथा ट्रक्टर को लाता रहा है। किन्तु वर्तमान में नामां0सं0 119 के द्वारा हयु वारिसान जगदीश, हंसा, कैलाश पि0 कजोडया बैरवा द्वज्ञरा ख0न0773 व 772 की उत्तर की मेड पर डोल लगा कर उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिसमें बंशी पुत्र राधाकिशन बैरवा को अपनी आबादी से आम सडक पर पहुँचने में बाधा आ रही है एवं मवेशी व ट्रक्टर अन्दर आबादी में ही बंद पडे हुये है। उपस्थित व्यक्यिों ने बताया कि इस रास्ते को जगदीश, हंसा, कैलाश पि0 कजोड द्वारा करीब दो माह से बंद कर दिया गया है।'' सबंधित तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड व मौकाफर्द रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों की पूर्ण जांच व परीक्षण करने के पश्चात ही धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विधिसंगत निर्णय पारित किया है। इसके पश्चात अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने भी राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये गये है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2880/2003/सवाईमाधोपुर जगदीश बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक क्रमशः 30.04.2003 व 02.01.2003 यथावत रखे जाते है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	